तारीख हुक्म	पनाराम बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज प्र.सं. 33/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

16/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] होने से पत्रावली दिनांक 23/10/19 को पेश हो।

23/10/19 वकील प्रार्थी उपस्थित।
तहसीलदार देसूरी को मौका Report के लिए लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 18/11/2019 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

18/11/19 वकील प्रार्थी उपस्थित। सरकारी पैरोकार उप।
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/11/2019 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

20/11/2019 वकील प्रार्थी उप.। सरकारी पैरोकार उप।
प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) को स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत(आर.ए.एस.)

राजस्व विविध संख्या :– 33/2018

निर्णय दिनांक :–20.11.2019

प्रार्थी :–

पनाराम पुत्र भूताराम जाति–राईका निवासी–बागोल तहसील–देसूरी

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री कमेलश सेठिया अधिवक्ता प्रार्थी।
2. तहसीलदार देसूरी राज्य सरकार की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक :–20.11.2019**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बागोल पटवार क्षेत्र–बागोल भू–निरीक्षक क्षेत्र–मगरतलाव तहसील–देसूरी जिला–पाली मे खसरा नम्बर 1764/1040 रकबा 0.7000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम प्रार्थी की भूमि स्थित है। प्रार्थी ने अपनी भूमि में जाने हेतु नया रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1764/1040 की भूमि में जाने का रास्ता ख.न. 1041 के उत्तरी माठ के सहारे करीब 15 फीट चौडा रास्ता नक्शे में मार्क A से B दर्शाया गया है उक्त रास्ता गैर मुमकीन खारस है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि में जाने हेतु खसरा नम्बर 1041 रकबा 2.9500 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन खारस में से नया रास्ता की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] तहसीलदार देसूरी को नोटिस जारी किया जाकर मौका रिपोर्ट [illegible] देसूरी द्वारा रास्ते की प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण [illegible] बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बागोल के खसरा नम्बर 1764/1040 रकबा [illegible]7000 हैक्टर किस्म बा.दो. मे आने

पेज लगातार 2 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:24 IST
Reason: SelfAttested

जाने हेतु खसरा नम्बर 1041 रकबा 2.9500 हैक्टर किस्म गैर मु. खारस मौके पर भूमि रास्ता हेतु नजरी नक्शा मे बिन्दू सं A से B लम्बाई 280 मीटर चौडा 5 मीटर क्षेत्रफल 1400 वर्गमीटर यानी 0.1400 हैक्टर भूमि मौके पर खाली पडत है। आवेदक की खातेदारी मे आनें जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। खातेदारी भूमि गैर मुमकिन वाला के पास आई हुई है। खसरा नम्बर 1041 किस्म गैर मुमकिन खारत जो राजस्व रिकार्ड मे सरकारी भूमि के खाते मे दर्ज है। रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि में कोई पेड खडे नही है। आवेदक खातेदार की धारित खातेदारी भूमि मे आवागमन रिकार्ड रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाना उचित है। रास्ता के लिए प्रस्तावित भूमि की पंजीयन रिकार्ड के अनुसार डी.एल.सी. दर 933000/– प्रति हैक्टर की दर है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी) को सुना गया। पत्रावली मय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार देसूरी मय पटवारी हल्का, भू.अ. नि. बागोल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अवलोकन किया गया।प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत की धारा 251ए सपठित राज. काश्त.(सरकारी) संशोधित नियम 2012 को स्वीकार किया जाता है। अन्तर्गत नियमों में वर्णित प्रावधानों एवं राजकीय सिवायचक भूमि में कृषि जोतों के लिये नवीन रास्ता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार प्रचलित बाजार दर की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल देय कर वर्णित भू–भाग खसरा संख्या 1041 के उत्तरी माठ के सहारे संलग्न नक्शें में लाल स्याही से A से B लम्बाई 280 मीटर चौडा 5 मीटर क्षेत्रफल 1400 वर्गमीटर यानी 0.1400 हैक्टर भूमि नवीन रास्ता प्रयोजन के लिये प्रार्थीगणों को उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

देय प्रतिकर राशि :–

	डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि रू.	डी.एल.सी. दर के अनुसार देय दुगुनी राशि रू.
1. 1400 वर्ग मीटर यानि .14 हैक्टर भू–भाग के लिए 93.30 रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से।	130620 /–	261240/–

इस प्रकार प्रार्थीगणों से कुल देय प्रतिकर राशि रूपये 261240 अक्षरे दो लाख इकसठ हजार दो सो चालीस रूपये वसूल किये जाकर उक्त राशि की अदायगी तहसील कार्यालय देसूरी में भू–राजस्व मद में जमा कराये जाने की सूनिश्चितता किये जाने के पश्चात उपरोक्त आदेश की पालना में तहसीलदार देसूरी राजस्व रेकार्ड में

पेज लगातार 3 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भू–भाग को बतौर गे.मु. रास्ता राजकीय सिवायचक दर्ज करेगें एवं संलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व नक्शे में रास्ता की तरमीम कर जमाबन्दी एवं नक्शे की प्रति पालनार्थ इस न्यायालय को भिजवायेगें। संलग्न नक्शा इस आदेश का भाग माना जायेगा इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी, पटवारी हल्का बागोल एवं तहसील राजस्व लेखाकार को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमांक / कोर्ट / 2018 / दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–

1. तहसीलदार देसूरी
2. पटवारी हल्का बागोल
3. राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय देसूरी।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:24 IST
Reason: SelfAttested